क्रमांक हुक्म व तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
	आपत्ति के अभिलेखित खातेदार काश्तकार है। प्रकरण में मौके स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई जाकर वाद के विरुद्ध वाद में लोकर उपस्थित नहीं किया जाकी है। वास्तुतः अप्रार्थीगण उक्त भूमि एक हिस्से का उपर मूल वाद में प्रतिवादी, तहसीलदार सर्वे लोकर नक्शे के आधार पर विभाजित उपरान्त ही हो पायेगा। ऐसी स्थिति में किसी खातेदार के विरुद्ध अस्थायी आपत्ति की मौके की स्थिति अभिलेख निर्धारण कर मंगवाना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी/अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र O.39 R.7 CPC का अभी कोई लाभ नहीं होने से आदेश/खारिज किया जाता है। पत्रा. वास्ते ... प्राप्त अग्रिम निर्णय 25/11/24 को पेश हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)	
24/9/24	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्य... अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली वास्ते ... 12/11/2024 को पेश हो।	
12/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्र०। अप्रा. प्रार्थना पत्र पेश करने का समय चाहते है, दिया जाता है। पत्रावली वास्ते निर्णय 14/1/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)	अधिवक्ता
27/12/24	मूल वाद के पत्राव नकल का प्रार्थना पत्र पेश करके के पत्राव आज पेश हुई. चूंकि मूल वाद वादीगण का आज निर्णय निर्धारित खारिज हो चुका है। मूल वाद खारिज हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने अर्थात प्रभावहीन हो जाने से प्रार्थीगण का स्थगन प्रा. पत्र खारिज किया जाता है। पत्रा. कौनसा दुबारा होकर नतीजा से दर्ज हो। वाद तहसील जाकर दाखिल दफ्तर (रेकर्ड) अनुपालन जाता हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (ब्यावर)	L.T.I. ...